न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 177/2025 G.C.M.S. No. 2025/713 दर्ज दिनांक : 03.11.2025

अपीलार्थिगण:

1. भला पुत्र गणेशा जाति माली निवासी मालियो का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. बाबूराम पुत्र भलाराम जाति माली निवासी मालियो का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. देवू पत्नी रामजी फौत के कायम मुकाम:
   1/1. भीखी पुत्री रामजी पत्नी द्वारका राम, जाति माली निवासी निंबज नारायणपुरा तहसील चितलवाना जिला जालोर।
   1/2. रतनाराम पुत्र रामजी
   1/3. पेमी पुत्री रामजी पत्नी सांवलाराम, जाति माली निवासी नर्मदा कॉलोनी सांचौर जिला जालोर।
   1/4. भगवानाराम पुत्र रामजी
   1/5. सवाराम पुत्र रामजी
   जातियान माली, निवासीगण मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर, जिला जालोर राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 23.09.2025

पैरोकार:–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 23.09.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 देवू पत्नी रामजी (वादीया) ने सहायक कलेक्टर सांचौर के यहा वाद बाबत् विभाजन खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम मालियों का गोलिया, पटवार हल्का चौरा के खाता संख्या 61 खसरा संख्या 733 रकबा 2.1700 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीया के बंट व कब्जा काश्त की भूमि का हिस्सा 09/217 अर्थात रकबा 0.09 हैक्टेयर है व प्रतिवादी संख्या 01 भला (अपीलार्थी) का हिस्सा 90/217 अर्थात रकबा 0.9 हैक्टेयर है। प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 118/217 अर्थात रकबा 1.18 हैक्टेयर आया हुआ है। वादीया के बंट की भूमि रकबा 0.09 हैक्टेयर जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' में पीले रंग से दर्शायी गई है। वादीया के बंट की भूमि पर वादीया का अलग से कब्जा काश्त है तथा खेती बाडी करती है तथा वादीया ने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर लगातार खाद डालकर लगातार समतल करवाकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है। इस प्रकार का बंटवाड का दावा वादीया देवू पत्नी रामजी माली ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं अन्य के खिलाफ प्रस्तुत किया जिसपर वाद रजिस्टर्ड हुआ एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने अपना जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम दिनांक 26.07.2024 को पेश किया एवं उस पर वादीया ने काउंटर क्लेम का जवाब पेश नहीं करना चाहा एवं दिनांक 09.10.2024 को सहायक कलेक्टर सांचौर द्वारा वादीया का काउंटर क्लैम का जवाब बंद कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्राथमिक डिक्री 04.11.2024 को जारी की गई तथा दिनांक 23.09.2025 को अन्तिम डिक्री जारी की गई।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.11.2024 को प्राथमिक डिकी जारी होने के बाद दिनांक 14.11.2024 को देवू पत्नी रामजी माली का स्वर्गवास हो चुका था,परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिकी दिनांक 23.09.2025 को जारी की गई है जिसमें वादीया देवू के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बगैर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है। मृत व्यक्ति के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की है अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक व अंतिम डिकी जारी करने से पूर्व पक्षकारों के न तो बयान लिये, न ही दस्तावेज प्रदर्श करवायें। अधिनस्थ न्यायालय ने ताबडतोड में रेस्पोडेण्ट को फायदा देने की नियत से बगैर बयान व दस्तावेज प्रदर्श करवायें निर्णय व अंतिम डिकी पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट जो बनवाई जो दिनांक 01.08.2025 को बनवाई उसमें वादीया के वारीसानों को दर्शाया है बाबूराम व भलाराम अपीलांट के नाम मात्र दर्ज किये है उनकी उपस्थिति में मौका नहीं देखा है न हीं मौका रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2025 में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये है। मौका रिपोर्ट के अंतिम पेज में देवू पत्नी रामजी के वारीसान दर्ज किये है परंतु डिकी व निर्णय में देवू के वारीसानों का कोई हवाला नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय का निर्णय व अन्तिम डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय व डिकी पारित करे इस आश्य का आदेश जारी फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी देवू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को वादी व प्रतिवादी के माफिक राजस्व रेकर्ड रास्ते की सुविधा देते हुए कब्जा–काश्त व हक हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के आधर पर विभाजन के प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 01.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 176ए/2025 भला बनाम देवू के कायम मुकाम भीखी में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी जिसमे वादी देवू पत्नी रामजी बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 04.04.2025(पत्रावली में सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अनुसार) को हो चुकी थीं। इसके बावजूद वादिया के वारिसान को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के पक्ष में अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 23.09.2025 पारित किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दुषित व त्रुटिपूर्ण होने से काबिल अपास्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. प्राथमिक डिक्री अनुपालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबधित सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सुचित किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में यह स्वीकार्य स्थिति है कि वादी देवू पत्नी रामजी की मृत्यु विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। जिसका अंकन विभाजन प्रस्ताव में भी है। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के वक्त उपस्थिति हेतु कोई नोटिस भी जारी किया जाना अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबधित सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सुचित किया जाना आवश्यक हैं। वादिया को खसरा संख्या 733 में संकरी पट्टी के रूप में भूमि आवटंन किया गया है, जो काश्त योग्य नहीं है एवं संबधित तहसीलदार द्वारा इस संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नियम 20 व 21 की समुचित अनुपालना किए बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 23.09.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली